

2018/00240

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, वाहल  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी - श्रीपन्द्र कुमार थापा R.A.S.

जाति जयराम पुत्र कुञ्जराम उन्वान वनाराम पुत्र कुञ्जराम वरार  
जाल्दि पटमाणी बनाम जाल्दि जाल्दि नि.पटमाणी

दावा बाबत 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर - 161/18

निर्णय दिनांक 26-6-18

वादी की ओर से जयराम की व प्रतिवादी की ओर से वनाराम की  
स्थिति में इस वाद में आज तारीख 26-6-18 को..... (नाम पीठासीन अधिकारी).....  
उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और  
डिक्री दी जाती है कि -

वादी का दावा आपली सहमति से लीकार का मौजा हरदापुरा  
विस्तार ख.म. 600, 987/001, 557/449, 562/5118 इति के राज्य वेस्ट  
में वादी का नाम देशभाराम पुत्र कुञ्जराम देवानुपुत्र जयराम पुत्र  
कुञ्जराम दुरन्त कले का अर्पण किया जाता है निर्णय की फलता  
हेतु सहजित का निर्णयन को अर्पण किया जाता है अत्रावली के साथ  
सुझा होकर दाखिल इफ्तार हो।



अपना-अपना वहन करेंगे।  
तारीख 26-6-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(Signature)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर.....